

उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर

जनपद स्तर पर स्थापित इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेन्टर को सक्रिय किया जाय

सभी अस्पतालों को अपने यहां आवश्यक उपकरण, दवायें, मानव संसाधन की
व्यवस्था, कोविड प्रोटोकाल एवं मास्क के प्रयोग सुनिश्चित करने के निर्देश

लखनऊ : 08 अप्रैल, 2023

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों, मण्डलीय अपर निदेशक स्वास्थ्य, जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा चिकित्सालयों के प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे कोरोना महामारी को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ले जिससे आवश्यकता पड़ने पर जनसामान्य को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

श्री शर्मा ने बताया कि बेहतर कोविड प्रबन्धन हेतु चार स्तरों पर अलग-अलग निर्देश दिये गये हैं। इसमें कोविड सैम्पलिंग, सर्विलांस तथा संवेदीकरण गतिविधियां, रैपिड रिस्पांस टीम की क्रियाशीलता तथा चिकित्सालयों हेतु निर्देश शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कोविड सैम्पलिंग के लिए सभी कोविड प्रयोगशालाओं की पूर्ण सक्रियता सुनिश्चित करने तथा जीनोम सिक्वन्सिंग के लिए कोविड पॉजीटिव मरीजों के सैम्पल माइक्रोवायोलॉजी लैब के 0जी0एम0यू0 भेजने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त लक्षणयुक्त मरीजों का परीक्षण 24 घण्टे के अन्दर करा लेने के निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने बताया कि सर्विलांस तथा संवेदीकरण हेतु निर्देशित किया गया है कि जनपदों में स्थापित इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेन्टर को पुनः सक्रिय किया जाए। विदेश यात्रा से आने वाले व्यक्तियों की कोविड रोग बचाव हेतु निगरानी रखी जाय। जनपद तथा ब्लॉक स्तर पर गठित निगरानी समिति एवं आरआरटी टीमों का पुनः संवेदीकरण किया जाय। आवश्यकता पड़ने पर पूर्व की भांति आशा, आगनबाड़ी वर्कर व ग्राम निगरानी टीम सदस्य लक्षणयुक्त मरीजों को मेडीसिन किट का वितरण करेंगे।

बेहतर व त्वरित रिस्पांस के लिए निर्देश दिया गया है कि रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा सूचना प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर कोविड पॉजीटिव व्यक्ति का गृह भ्रमण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। कोविड व्यक्ति के सम्पर्क में आये व्यक्ति का सैम्पल जांच हेतु 24 घण्टे के अन्दर एकत्रित कर लैब में भेजा जायेगा तथा सभी व्यक्तियों को इस बात के लिए जागरूक किया जाये कि यदि उनमें कोई कोविड के लक्षण मिले तो वे तत्काल इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेन्टर को सूचना देते हुए निकटवर्ती कोविड जांच केन्द्र पर अपनी जांच कराना सुनिश्चित करें।

सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु सभी स्तर के कार्मिकों का कोविड-19 संबंधित संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जाये। सभी अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से कार्य करें, इसके लिए सभी आवश्यक उपकरण, दवायें, मानव संसाधन व लॉजिस्टिक की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं मास्क का प्रयोग किया जाय।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के हवाई अड्डों पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार स्क्रीनिंग/जांच की जाय। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।

सम्पर्क सूत्र- अखिलेश मणि त्रिपाठी

राम यतन/03:30 PM